Government of India

Wireless Planning & Coordination Wing

Ministry of Communications and Information Technology
Department of Telecommunications

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2009/माघ 21, 1930
No. 78] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2009/MAGHA 21, 1930

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(बेतार योजना और समन्वय खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 90(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां भी हैं, के उपयोग (अनुज्ञप्ति की अपेक्षा से छूट) नियम 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—यह नियम 50—200 किलोहर्ट्ज आवृत्ति बैंड को लागू होंगे ।

3. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) अभिप्रेत है ।

(ख) इन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु उक्त अधिनियमों में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं ।

4. **अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां भी हैं, 50—200 किलोहर्ट्ज बैंड में उपयोग**—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संबंकित, समर्पित या बाहरी एंटेना (बाहरी एंटेना की दशा में केवल नक्रारित एंटेना भी समझा जाएगा) पर जिसमें बिना हस्तक्षेप, बिना संर ण या सम्मिलित (अनन्य रूप से नहीं) आधार पर अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्करों जिसके अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियां भी हैं, 50—200 किलोहर्ट्ज बैंड में उपयोग के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को किसी बेतार को स्थापित करने, अनुरक्षण करने में, कार्य करने में, अपने पास रखने में या उसे व्यवहार करने में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट अधिकतम विकिरित शक्तियां या क्षेत्र तीव्रता सीमा के सिवाय, कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी, अर्थात् :—

सारणी

निम्नलिखित आवृत्ति बैंड के उपयोग के लिए प्रेरणिक अनुप्रयोग के तकनीकी लक्षण

आवृत्ति बैंड	अधिकतम विकिरित शक्ति या क्षेत्रतीव्रता सीमा
(1)	(2)
50—59.750 किलोहर्ट्ज	प्रति 10 मीटर पर 72 डिसबिल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर या 123.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
59.750–60.250 किलोहर्ट्ज	प्रति 10 मीटर पर 42 डिसबिल माइक्रो एम्पियर प्रति मीटर या 93.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर

(1)	(2)
60.250–70 किलोहर्टज	प्रति 10 मीटर पर 69 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 120.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
70–119 किलोहर्टज	प्रति 10 मीटर पर 42 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 93.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
119–135 किलोहर्टज	प्रति 10 मीटर पर 66 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 117.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
135–140 किलोहर्टज	प्रति 10 मीटर पर 42 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 93.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
140–148.5 किलोहर्टज	प्रति 10 मीटर पर 37.7 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 89.2 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर
148.5–200 किलोहर्टज	प्रति 10 मीटर पर 30.0 डिसबिल माइक्रो एम्पयिर प्रति मीटर या 81.5 डिसबिल माइक्रो वोल्ट प्रति मीटर

5. व्यतिकरण.—अवांछित ऊर्जा के किसी प्रभाव या उत्सर्जन के किसी संयोजन, किसी रेडियो संचार प्रणाली में किसी उत्सर्जन, विकिरण या अभिग्रहण पर उत्प्रेरण के सहयोजन, किसी अवकर्षण, अपनिर्वचन, या सूचनाओं की हानि जो ऐसी अनवांछित ऊर्जा की अनुपस्थिति के निष्कर्ष में हो सकेगा, जहां अधिनियम की धारा 4 के अधीन किसी व्यक्ति को कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है सूचित करेगा कि उसके अनुज्ञप्ति प्रणाली में किसी अन्य रेडियो संचार प्रणाली से जो इन नियमों के अधीन छूट प्राप्त है, से हानिकारक व्यतिक्रम हो रहा है, ऐसी बिना अननुज्ञप्तधारी बेतार उपस्करों के उपयोग को जो उपस्करों के पुनर्स्थापन द्वारा व्यतिक्रम को दूर करने के लिए ऐसे आवश्यक उपाय, शक्ति को कम करके, एंटीना के विशेष प्रकारों का उपयोग करके जिसके अंतर्गत ऐसे बेतार के उपयोग को रोकना भी है, यदि अपेक्षित हों, करने होंगे ।

परन्तु ऐसे रोकने से पहले ऐसे बेतार उपस्करों के अनुज्ञप्तिधारी उपयोक्ता को परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए युक्ति युक्त अवसर दिया जाएगा ।

6. उपस्कर.—(1) जहां अति निम्न शक्ति रेडियो आवृत्ति युक्तियां या उपस्कर या रेडियो आवृत्ति पहचान युक्तियों के प्रकार अनुमोदित होंगे, उपर्युक्त नियम 4 में निर्दिष्ट सारणी में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप उत्सर्जन बैंड की चौड़ाई और अन्य पैरामीटर्स होंगे और ऐसी रीति में अनुमोदित या डिजाइन और संनिर्माण किए जाएंगे ।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे अनुप्रयोग प्रारूप बनाएगी जो उपस्करों के प्रकार के अनुमोदन के अनुरूप के लिए लागू होंगे जो वैबसाइट www.wpc.dot.gov.in पर उपलब्ध होंगे ।

7. शर्तें.—ये नियम,—

(i) इस आवृत्ति बैंड में किसी प्रकार से अनुज्ञप्ति अधिकारों या विद्यमान प्रक्रियाओं और योजनाबद्ध बेतार प्रचालन को प्रभावित नहीं करेंगे;

(ii) जहां केन्द्रीय सरकार से विशिष्ट सेवा अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, लागू नहीं होंगे ।

[सं. आर-11020/07/2008-पीपी]

आर. के. सक्सेना, उप बेतार सलाहकार

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Wireless Planning and Coordination Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2009

G.S.R. 90(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Use of very low power Radio Frequency devices or equipments including the Radio Frequency Identification Devices, (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall be applicable in the 50-200 KHz frequency band.

3. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 1885(13 of 1885), and the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933);

(b) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Acts shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts.

4. Use of very low power Radio Frequency devices or equipments including Radio Frequency Identification Devices, in the 50-200 KHz frequency band.—

Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no licence shall be required by any person to establish, maintain, work possess or deal in any wireless equipment for the purpose of usage of very low power Radio Frequency devices, or equipments including Radio Frequency Identification Devices, in the 50-200 KHz frequency band, with Integral, Dedicated or External antenna (In case of external antenna, only loop coil antenna

may be employed) on non-interference, non-protection and shared (non-exclusive) basis, with the maximum Radiated Power or Field Strength Limits as specified in the Table below, namely :—

TABLE

Technical characteristics of inductive applications using the following frequency bands

Frequency Band	Maximum Radiated Power or Field Strength Limits
50-59.750 kHz	72 dBμA/m or 123.5 dBμV/m at 10 metres
59.750-60.250 kHz	42 dBμA/m or 93.5 dBμV/m at 10 metres
60.250-70 kHz	69 dBμA/m or 120.5 dBμV/m at 10 metres
70-119 kHz	42 dBμA/m or 93.5 dBμV/m at 10 metres
119-135 kHz	66 dBμA/m or 117.5 dBμV/m at 10 metres
135-140 kHz	42 dBμA/m or 93.5 dBμV/m at 10 metres
140-148.5 kHz	37.7 dBμA/m or 89.2 dBμV/m at 10 metres
148.5-200 kHz	30.0 dBμA/m or 81.5 dBμV/m at 10 metres

5. **Interference.**—The effect of unwanted energy due to one or a combination of emissions, radiations or induction upon reception in a radio communication system, manifested by any performance degradation, misinterpretation, or loss of information which could be extracted in the absence of such unwanted energy, where any person whom a licence has been issued under Section 4 of the Act, informs that his licensed system is getting harmful interference from any other radio communication system exempted under these rules, the user of such unlicensed wireless equipment shall take necessary steps to avoid interference by relocating the equipment, reducing the power, using special type of antennae including discontinuation of such wireless use, if required :

Provided that, before such discontinuation, a reasonable opportunity to explain the circumstances shall be offered to such unlicensed user of wireless equipment.

6. **Equipments.**—

(1) These very low power Radio Frequency wireless devices or equipments or Radio Frequency Identification devices shall be type approved and designed and constructed in such a manner so that the bandwidth of emission and other parameters shall conform to the limits specified in the Table referred to in rule 4 above.

(2) The application for obtaining equipment type approval shall be made to the Central Government in such application format which shall be available on website; www.wpc.dot.gov.in.

7. **Conditions.**—These rules,—

(i) do not in any way, affects the licensing rights or procedures of existing and planned wireless operations, in this frequency band;

(ii) are not applicable, wherever specific service licence is required from the Central Government.

[No. R-11020/07/2008-PP]

R. K. SAXENA, Dy. Wireless Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054